राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–863 / 2025

रामचरण बिधूड़ी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान।
2. पुलिस महानिरीक्षक, भरतपुर रेंज, भरतपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक :–12.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राज कुमार कसाना, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में हैड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। पुलिस अधीक्षक, जिला सवाईमाधोपुर ने समस्त थानाधिकारियों को दिनांक 11.10.2024 को यह सूचना भेजी की हैड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा ली जानी है। इसके पश्चात अपीलार्थी विभागीय परीक्षा में सम्मिलित हुआ। अपीलार्थी द्वारा तीन प्रश्न पत्रों में उपस्थिति दी गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपनी उत्तर पुस्तिका का अवलोकन किया गया, जिसमें उसने पाया कि उसके कुछ उत्तरों को जांचा नहीं गया। अपीलार्थी ने अपने तीनों प्रश्न पत्रों को पुनः जांचने के लिए आवेदन किया। प्रश्न पत्र द्वितीय को पुनः जांचने पर उसे प्रश्न संख्या 6 में 5 अंक में से 1 अंक दिया गया, परंतु अपीलार्थी के तृतीय प्रश्न पत्र को पुनः नहीं जांचा

गया। अपीलार्थी द्वारा प्रश्न पत्र द्वितीय एवं तृतीय को पुनः जांचने के लिए प्रत्यर्थीगण से निवेदन किया गया, परंतु प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी के प्रश्न पत्रों को पुनः नहीं जांचा गया।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. अपीलार्थी का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि अपीलार्थी के प्रश्न पत्रों की ठीक प्रकार से जांच नहीं की गई है। उनका कथन रहा है कि जब अपीलार्थी द्वारा अपनी उत्तर पुस्तिका को देखा गया तो उसमें पाया कि उसके कुछ उत्तरों को जांचा नहीं गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी ने उसके प्रश्न पत्रों को पुनः रि–चेक करने के लिए निवेदन किया गया था, जिस पर उसके द्वितीय प्रश्न पत्र को चेक किया गया, जो भी ठीक प्रकार से नहीं किया गया।

5. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)